राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

क्रमांक :- स्था./राउन्यापी/2013/130 दिनांक: 5.4.13

निविदा सूचना

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में वित्तीय वर्ष 2013 -2014 के लिए सफाई कार्य हेतु अनुभवी ठेकेदारों से मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। यह कार्य आंशिक रूप से मशीनों द्वारा व अंशत: मानव श्रम द्वारा किया जायेगा:-

कार्य का नाम	अनुमानित लागत	बयाना राशि
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर (नया व पुराना), जिसका कुल क्षेत्रफल 26160 वर्गमीटर है, का सफाई कार्य	10.00 लाख	रूपये 20,000/-

निविदा फार्म कार्यालय समय में विभागीय रोकडिया से रूपये 200/- जमा करा कर दिनांक 15.4.2013 से दिनांक 29.4.2013 तक प्राप्त किये जा सकते है। निविदाएं दिनांक 30.4.2013 को प्रात: 10.00 बजे तक जमा की जावेगीं तथा प्राप्त निविदाएं इसी दिन प्रात:12.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा स्वीकार करने/ अस्वीकार करने तथा निविदा प्राप्ति एवं खोली जाने की तिथि में परिवर्तन का अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा।

5.4.13

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

कार्यालय - रजिस्ट्रार (प्रशासन),राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर.

1.कार्य का नाम - राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ परिसर की सफाई कार्य जिसके लिऐ निविदा पेश की जा रही है।

2.निविदा देने वाली फर्म का नाम व पता स्थायी--------------------------------
----

स्थानीय-------------------------------
--------------------------------------.

3.मोबाईल व टेलीफोन नम्बर

4.पिछला अनुभव व उसका विवरण मय प्रमाण-पत्र --

5. संदर्भ-

6.निविदा शुल्क - रूपये 200/-, रसीद संख्या_______दिनांक_______ को जमा करा दी गयी है।

7. हम रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा जारी किये गये टेण्डर नोटिस संख्या दिनांक में वर्णित सभी निबंधन एवं शर्तो (Terms and conditions)को तथा संलग्न कागजों में दी गयी उक्त निविदा कोटि की अग्रिम निबंधन एवं शर्तो (Terms and conditions) को भी पढ़ने व समझने के पश्चात जिनके कि सभी पृष्ठों पर हमने उनमें वर्णित शर्तो को स्वीकार करने के लिए हस्ताक्षर किये हैं, को मानने के लिए बाध्य हैं।

8. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में निविदा करने की दरे निर्धारित प्रारूप में संलग्न हैं।

9. उपरोक्त अंकित दरे 01.06.2013 से दिनांक 31.05.2014 तक के लिए ही मान्य हैं। पारस्परिक समझौते के जरिये समयावधि बढ़ायी जा सकती है।

10.बयाना राशि रूपये 20,000/-- का ड्राफ्ट डिपोजिट रसीद संख्या_____________ दिनांक _________ बैंक का नाम___________________________ एवं सम्बन्धित परिमण्डल के आयकर अधिकारी का चुकती करने का प्रमाण पत्र एवं अतिरिक्त बिक्री कर/ वाणिज्य कर अधिकारी से बिक्री कर चुकती प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न किये हैं।

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर

संलग्न:1.

2.

3.

4.

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर(नया व पुराना) जिसका कुल क्षेत्रफल 26160 वर्गमीटर है, की सफाई हेतु निविदा प्रस्तुत करने की शर्ते

1. उच्च न्यायालय परिसर जिसमें नवनिर्मित भवन एवं पुराना भवन आदि सम्मिलित है के पूर्ण परिसर व परिसर के चारों तरफ स्थित सड़कों की सफाई का कार्य करना होगा। कोरिडोरो/ गलियारो में उच्च न्यायालय समय प्रारम्भ होने के दो घण्टे पूर्व व न्यायालय समय समाप्त होने से दो घण्टे पूर्व दो बार पोंछा लगाना होगा व सफाई कार्य में उचित मात्रा में फिनाईल, साबुन के पानी का घोल आदि का उपयोग करना होगा।
2. उच्च न्यायालय परिसर में स्थित सभी भवनों, कमरों, टॉयलेट्स, कोरिडोरों, पोर्च व सम्पूर्ण परिसर की सफाई न्यायालय समय प्रारम्भ होने से एक घण्टे पूर्व तक नियमित रूप से की जानी होगी व नियमित रूप से फिनाईल का पोंछा लगाना होगा।

3. इस परिसर में स्थित समस्त शौचालयों की सफाई एवं धुलाई का कार्य प्रतिदिन दो बार करना होगा। शौचालयों की धुलाई साबुन के पानी व फिनाईल के उपयोग से करनी होगी। शौचालयों में फिनाईल की गोलियों का प्रयोग करना होगा। समय-समय पर एसिड से सफाई तथा सफाई का पाउडर जैसे विम, सर्फ आदि का प्रयोग भी करना होगा।

4. भवन की समस्त सीढियों एवं सीढियों की रेलिंग, पोर्च एवं भवन में स्थित रैलिंग्स की सफाई भी प्रतिदिन करनी होगी।

5. भवन के समस्त खिडक्रियों के शीशे, खिड़कियों के बेस व अन्य समस्त दरवाजों एवं खिड़कियों की सफाई प्रत्येक माह में दो बार करनी होगी। यह सफाई का कार्य कार्यालय समय में ही करना होगा।

6. उच्च न्यायालय में एल्युमिनियम की खिड़कियां व दरवाजों आदि की सफाई एक पखवाड़े में एक बार नियमित रूप से करनी होगी।

7. पूर्ण परिसर में कांच की सफाई सप्ताह में एक बार आवश्यक इक्यूपमेंट से करनी होगी।

8. समस्त भवन की छत की सफाई का कार्य भी माह में एक बार करना होगा।

9. समस्त तलों पर स्थित थूंकदान एवं पीकदान की सफाई एवं उसमें मिट्टी राख का परिवर्तन प्रतिदिन करना होगा।

10. भवन में रखी गयी टॉयलेट की पानी की टंकियों की सफाई माह में एक बार अवश्य करनी होगी।

11. भवन के समस्त तलों पर स्थापित बोर्ड एवं चार्टों की सफाई सप्ताह में एक बार अवश्य करनी होगी।

12. समस्त तलों व परिसर की सफाई करने के पश्चात कूड़ा करकट एवं कचरे को उचित स्थान पर जलाकर उसे परिसर से बाहर उचित स्थान पर डालने की व्यवस्था करनी होगी।

13. परिसर में जिन अवकाशगारो पूर्ण चेम्बर एवं कमरों में कारपेट लगे हैं, उनकी नियमित सफाई वेंक्यूम क्लिनर से करनी होगी।

14. परिसर में खाली कच्ची भूमी पर जो भी जंगली घास हो को समय-समय पर हटाना होगा।

15. सफाई कर्मियों की यूनिफॉर्म नीले रंग की होगी तथा यूनिफॉर्म की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी।

16 . ठेकेदार का/के एक प्रतिनिधि न्यायालय समय से एक घण्टा पूर्व से न्यायालय समय समाप्त होने तक उपलब्ध रहेगा।

17. परिसर में प्रत्येक तल के लिए चार सफाई कर्मी नीले रंग की यूनिफॉर्म में न्यायालय समय तक उपलब्ध रहेंगे तथा समय-समय पर कमरों के सामने एवं थूकदानों में फेंके गये कचरे को हटाते रहेंगे।

18.श्रम नियमों के अनुसार किसी सफाई कर्मी की आठ घण्टे से अधिक ड्यूटी नहीं ली जायेगी। श्रम नियमों के अन्तर्गत देय पी एफ/ ई एस आई का भुगतान संवेदक को ही करना होगा।

19.राजकीय अवकाश के दिनों में निविदा दाता को पांच सफाई कर्मी उपलब्ध कराने होंगे।तथा अवकाश के दिनों में भी परिसर की समस्त सड़के एवं फुटपाथ की सफाई करनी होगी।

20. संवेदक को सफाई व्यवस्था में कार्यरत सफाई कर्मियों का पुलिस वेरीफिकेशन अपने स्तर पर करवाना होगा व उनका परिचय पत्र भी बनवाना होगा।

21. सफाई व्यवस्था हेतु कम से कम 25 आदमी (सफाई कर्मी) प्रतिदिन लगाये जायेंगे।

22.सफाई कर्मचारी अपनी उपस्थिति प्रात: रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष आवश्यक रूप से दर्ज करायेंगे तथा कार्यालय समय में उपस्थिति के आधार पर बिल का भुगतान किया जावेगा।

23.ठेके की दरे सामग्री सहित एवं बिना सामग्री के उल्लेखित करें।

24. सफाई सामग्री अच्छी किस्म की होगी एवं किसी प्रकार की मिलावट पायी गयी तो सामग्री को जब्त कर ठेके को रदद करने का अधिकार रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर को होगा।

25. ठेकेदारों को जिनकों पूर्व में राजकीय विभागों/कार्यालयों, अर्द्धशासकी कार्यालय भवन, बहु मंजिला ए क्लास भवनों में सफाई कार्य का एक वर्ष का अनुभव हो, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी तथा अनुभव का प्रमाण पत्र जो कि सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया हो, निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

26. उत्कृष्ठ अनुभव के अभाव में टेण्डर स्वीकृत करने/ नहीं करने का अधिकार रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर का होगा।

27. ठेकेदार को उच्च न्यायालय परिसर में पूर्ण रूप से स्वच्छता रखनी होगी।

28. कार्यालय के किसी भी विभाग द्वारा सफाई के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

29. ठेकेदार सफाई के कार्य का ठेका किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को सबलेट नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा।

30. टॉयलेट एवं बाथरूमों का सामान सफाई करने से पहले सही रूप से संभलाया जावेगा। इसके उपरान्त यदि किसी प्रकार की टूट फूट होगी तो उसकी दुरस्तगी एवं मरम्मत ठेकेदार द्वारा अतिशीघ्र करवायी जावेगी। यदि किसी कारण से ठेकेदार असमर्थ रहता है तो टूट-फूट ठीक करवायी जाकर खर्चा ठेकेदार से वसूल किया जावेगा।

31. सफाई की व्यवस्था के लिए रजिस्ट्रार, प्रशासन राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर द्वारा नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा दिये गये आदेशों व ठेके की शर्तों की पालना ठेकेदार को करनी होगी।

32. ठेके की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो उस विवाद पर रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।

33. सफाई कार्य का ठेका दिनांक 01.06.2013 से 31.05.2014 तक के लिए दिया जावेगा।

34. यदि ठेकेदार द्वारा नियमित रूप से शर्तों के अनुसार सफाई नहीं की जाती है या स्वेच्छा से ठेकेदार काम नहीं करता है या ठेकेदार द्वारा किये गये सफाई कार्य के संतोषजनक न होने की दशा में यदि उसके नाम का ठेका निरस्त किया जाता है तो अन्य फर्म को ठेका दिया जाकर अन्तर राशि असफल ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

35. ठेकेदार की धरोहर राशि रूपये 20,000/- व सफल निविदादाता को जमानत राशि ठेके राशि का 5% रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी। बयाना राशि जमानत राशि में समायोजित की जावेगी । जमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

36.ठेका स्वीकृत हो जाने की स्थिति में सफल निविदादाता को 500/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा जो ठेके की अवधि में वैध होगा।

37.बिना धरोहर राशि जमा कराये निविदा पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

38.निविदा स्वीकार करने/ अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में निहित होगा।

39. ठेका कभी भी रदद करने का अधिकार रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में निहित रहेगा। न्यूनतम दरे स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है।

40. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में या कोई त्रुटि पाये जाने पर इस राशि का 5% जमानत राशि दण्ड स्वरूप देय होगी।

41. निविदा स्वीकृत होने की दशा में निविदा दाता को निविदा की इस राशि का 5% जमानत राशि के रूप में आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह में जमा करानी होगी।

42.किसी प्रकार का विवाद होने पर समस्त कानूनी कार्यवाहियां ठेकेदार या किसी भी पक्ष (सरकार अथवा संविदाकार) द्वारा संक्षय किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भ होगी अन्य स्थानों पर नहीं।

43.निविदाएं रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के समक्ष सील बंद लिफाफे में दिनांक 30.4.2013 को प्रात: 10.00 बजे तक ही पेश किये जा सकेंगे तथा निविदाएं उसी दिन दिनांक 30.4.2013 को प्रात: 12.00 बजे खोली जावेगी। उस समय समस्त निविदा दाताओं का उपस्थित रहना अपेक्षित है।

44.किसी भी दिन कार्य से अनुपस्थित रहने पर उस दिन अन्य एजेन्सी से सफाई का कार्य सम्पादित करवाया जावेगा व उसकी राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

45. उक्त सफाई कार्य को आंशिक रूप से मशीनों द्वारा व अंशतः मानव श्रम द्वारा करना होगा जिसमें निम्न मशीनों का उपयोग करना होगा:-

	Approx. Qty.
1.One Single Disc Scrubbing Machine	1
2.One Vaccum Machine	1
3.One Manual Sweeper	1
4.Jobby Dust Pan	25
5.Glass Cleaning Equipments	3
6.Bio Hygenic Cleaning Solutions	as per requirements

46.न्यायालय में कार्यरत कोई भी अधिकारी द्वारा सफाई कार्य में शिकायत दर्ज कराने पर, शिकायत सही पायी जाती है तो तुरंत सफाई कार्य करवाया जायेगा तथा निम्नानुसार पैनल्टी भी वसूली जायेगी:-

1. कक्ष में सफाई कार्य न होने पर	रूपये 50/- प्रति कक्ष प्रति दिन
2.(i) चैम्बर में संलग्न टॉयलेट/यूरेनल में सफाई न होने पर -	रूपये 25/- प्रतिदिन प्रति टॉयलेट
(ii) सार्वजनिक उपयोग के टॉयलेट/ यूरेनल में सफाई न होने पर।	रूपये 50/- प्रतिदिन प्रति टॉयलेट
3. किसी खिडकी/दरवाजे में सफाई न होने पर।	रूपये 10/- प्रति दिन प्रति खिडकी/दरवाजें।
4.किसी भी रेलिंग सफाई कार्य न होने पर	रूपये 20/- प्रति फीट प्रति दिन
5. बरामदा सफाई कार्य न होने पर	रूपये 50/- प्रति बरामदा प्रति दिन
6. डस्टबीन (बडा)सफाई कार्य न होने पर	रूपये 50/- प्रति दिन
7.अन्य सफाई कार्य न होने पर	रजिस्ट्रार(प्रशासन) के विवेकानुसार ।
8. सम्पूर्ण परिसर में सफाई कार्य न होने पर	रूपये 1000/- प्रति दिन (उपरोक्त सभी कटौतियों को शामिल करते हुए)

47. यदि शिकायत के बावजुद भी सफाई नहीं की जाती है तो पैनल्टी की दुगनी राशि की वसूली की जावेगी। हर शिकायत का लेखा / जोखा न्यायालयाधिकारी रखेगें तथा हर एक परिसर में शिकायत पुस्तिका का स्थान सुनिश्चित करेगें।

निविदा का प्रारूप

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक 01.06.2013 से 31.05.2014 तक ठेके की राशि
	1. राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ परिसर (पुराना एवं नया भवन) की सफाई व इसके चारों तरफ स्थित सड़कों की सफाई का कार्य निविदा में दिये गये पूर्ण कार्य विवरणानुसार	

1. सामग्री सहित (प्रतिमाह)
2. सामग्री रहित (प्रतिमाह)
3. संलग्न बैंक ड्राफ्ट संख्या व बैंक का नाम
   व ड्राफ्ट की दिनांक
4. धरोहर राशि

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम-
पता-
वर्तमान पता-
स्थायी पता
फोन नं. -
मोबाईल नं.

उपरोक्त निविदा से सम्बन्धित 1 से 47 प्रतिबन्ध एवं शर्तों को पढ़ लिया गया है व यह प्रतिबन्ध एवं शर्तें स्वीकार्य है तथा राजस्थान उच्च न्यायालय भवन के पूर्ण परिसर की चारों तरफ की भवन की सफाई (दिये गये विवरणों के अनुसार) सामग्री सहित एवं सामग्री रहित दरें संलग्न है।

हस्ताक्षर निविदादाता